सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

आश्विन 16, शुक्रवार, शाके 1943-अक्टूबर 08, 2021
Asvina 16, Friday, Saka 1943- October 08, 2021

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 08, 2021

संख्या एफ.3(1)(1)प्रथम/निर्वा/2021/5153 :–भारत निर्वाचन आयोग की निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ पुनः प्रकाशित की जाती हैं।

प्रवीण गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं 576/एग्जिट/2021/एसडीआर/खंड-II

दिनांक: 6 अक्तूबर, 2021
14 आश्विन, शक, 1943

अधिसूचना

यतः निर्वाचन आयोग द्वारा **दिनांक 28 सितम्बर, 2021के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./83/2021 के तहत घोषित 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों संध राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एंव दमन और दीव, मध्यप्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों और 14 राज्यों के 30 विधान सभाओं (अनुलग्नक-1 के अनुसार)a के लिए** कार्यक्रम की घोषणा की गई थी; और:

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र.अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि " *(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।*

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात :-

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।"

अब, इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, **30-10-2021** (शनिवार) को पूर्वाहन 6**.00 बजे से अपराह्न 7.30** बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर उल्लिखित उप-निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,

नरेन्द्र ना.बुटोलिया,
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

अनुलग्नक-I

क्रम सं,	**राज्य का नाम**	**संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नाम**
1.	संध राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एंव दमन औ दीव	दादरा और नागर हवेली
2.	मध्यप्रदेश	28 – खण्डवा
3.	हिमाचल प्रदेश	2 – मण्डी

क्रम सं.	राज्य का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम और संख्या
1.	आध्रप्रदेश	124- बाडवेल (अ.जा.)
2.	असम	28- गोस्साई गाँव
3.	असम	41- भबानीपुर
4.	असम	58- तमुलपुर
5.	असम	101- मरियानी
6.	असम	107- थोवरा
7.	बिहार	78-कुशेश्वरस्थान (अ.जा.)
8.	बिहार	164- तारापुर
9.	हरियाणा	46- ऐलनाबाद
10.	हिमाचल प्रदेश	08- फतेहपुर
11.	हिमाचल प्रदेश	50- अर्की
12.	हिमाचल प्रदेश	65- जुब्बल-कोटखाई
13.	कर्नाटक	33- सिन्डगी

14.	कर्नाटक	82- हानगल
15.	मध्य प्रदेश	45- पृथ्वीपुर
16.	मध्य प्रदेश	62- रैगाँव (अ.जा)
17.	मध्य प्रदेश	192- जोबट (अ.ज.जा)
18.	महाराष्ट्र	90- देगलुर (अ.जा.)
19.	मेधालय	13- मावरेंगकेंग (अ.ज.जा.)
20.	मेघालय	24- मावफलांग (अ.ज.जा.)
21.	मेघालय	47- राजबाला
22.	मिजोरम	4- तुईरिअल (अ.ज.जा.)
23.	नागालैड	58- शामटोर चेस्सोरे (अ.ज.जा.)
24.	राजस्थान	155- वल्लभनगर
25.	राजस्थान	157- धरियावद (अ.ज.जा.)
26.	तेलंगाना	31- हुजूराबाद
27.	पश्चिम बंगाल	7- दिनहाटा
28.	पश्चिम बंगाल	86- सान्तिपुर
29.	पश्चिम बंगाल	109- खारडाह
30.	पश्चिम बंगाल	127- गोसाबा (अ.जा.)

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001.

No. 576/EXIT/2021/SDR/Vol.II Dated : 6thOctober, 2021
14 Ashwin, Saka, 1943

NOTIFICATION

Whereas, the schedule for the bye elections to the **3 Parliamentary Constituencies of UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Madhya Pradesh and Himachal Pradesh States and 30 Assembly Constituencies of 14 States(as per Annexure-I), announced vide the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/83/2021 dated 28th September, 2021.**

And whereas, Section 126A of The Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) specifies that"(1) *No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.*

(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely:—

(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories;

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.

(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."

Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between 6**.00 A.M**. and **7.30 P.M**. on **30-10-2021 (Saturday),** as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid bye-elections**,** shall be prohibited.

It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By order,

NARENDRA N.BUTOLIA,
Sr. PRINCIPAL SECRETARY.

Annexure-I

Sl. No.	Name of State	Number & Name of Parliamentary Constituency
1.	UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	Dadra & Nagar Haveli
2.	Madhya Pradesh	28-Khandwa
3.	Himachal Pradesh	2-Mandi

Sl. No.	Name of State	Number & Name of Assembly Constituency
1	Andhra Pradesh	124-Badvel(SC)
2	Assam	28-Gossaigaon
3	Assam	41-Bhabanipur
4	Assam	58-Tamulpur
5	Assam	101-Mariani
6	Assam	107-Thowra
7	Bihar	78-Kusheshwar Asthan(SC)
8	Bihar	164-Tarapur
9	Haryana	46-Ellenabad
10	Himachal Pradesh	08-Fatehpur
11	Himachal Pradesh	50-Arki
12	Himachal Pradesh	65-Jubbal-Kotkhai
13	Karnataka	33-Sindgi
14	Karnataka	82-Hangal

15	Madhya Pradesh	45-Prithvipur
16	Madhya Pradesh	62-Raigaon(SC)
17	Madhya Pradesh	192-Jobat(ST)
18	Maharashtra	90-Deglur(SC)
19	Meghalaya	13-Mawryngkneng(ST)
20	Meghalaya	24-Mawphlang(ST)
21	Meghalaya	47-Rajabala
22	Mizoram	4-Tuirial(ST)
23	Nagaland	58-Shamtorr-Chessore(ST)
24	Rajasthan	155-Vallabhnagar
25	Rajasthan	157-Dhariawad (ST)
26	Telangana	31-Huzurabad
27	West Bengal	7-Dinhata
28	West Bengal	86-Santipur
29	West Bengal	109-Khardaha
30	West Bengal	127-Gosaba(SC)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।